तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तुलसाराम चौधरी, 36–ए, जनता कॉलोनी, पाली (राज.) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी प्रथम सूचना अपील संख्या :– 70 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 287 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

23.06.22

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 26.10.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी ने जरिये पत्रांक / .सू.अ.अधि. / 2022 / 3111 दिनांक 17.06.2022 के श्रीमान रजिस्ट्रार महोदय, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को प्रेषित पत्र का हवाला देते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना में बिन्दु संख्या 01 में उपखण्ड अधिकारी बाली व देसूरी से प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 2828 दिनांक 27.04.2022 एवं बिन्दु संख्या 02 में तहसीलदार, रानी से प्राप्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 66 दिनांक 22.03.2022 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली